राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 43/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
ओम प्रकाश अग्रवाल म.न. 5. तानाजी मार्ग, पोण्ड्रीक पार्क के पास, ब्रह्मपुरी, जयपुर,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, जयपुर-द्वितीय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कलेक्टर परिसर बनीपार्क जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 25-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री श्याम सुन्दर कुमावत, कनिष्ठ सहायक, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 8-6-17 के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15-4-13, जो कि ओम प्रकाश अग्रवाल के नाम से निष्पादित किया गया था, की प्रति किन व्यक्तियों द्वारा आज तक ली गई है, की सूची चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 2-8-17 से विनिश्चय प्रेषित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना संधारित नहीं है तथा चाही गई सूचना का संकलन अथवा सृजन कर दिया जाना सूचना की परिभाषा में नहीं आता है। यह भी निवेदन किया कि प्रेषित पत्र दिनांक 2-8-17 को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय निर्णय दिनांक 13-10-17 से प्रथम अपील भी खारिज कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 3-2-18 एवं 20-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सृजनात्मक सूचना है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन कर अथवा विभिन्न रिकार्डो से संकलित कर उपलब्ध करवाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती साथ ही चाही गई सूचना कयास पर आधारित है एवं सूचना के आवेदन में विशिष्टियों का अभाव है।

8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

9. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त